राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ. 7 (38) (100)/परि/नियम/मु0/2003–04/53036 जयपुर दिनांक : 27-11-09

कार्यालय आदेश संख्या 30/2009

प्रायः यह देखने में आया है कि मुख्यालय से वाहनों के संबंध में जारी होने वाले पंजीयन स्वीकृति (प्रोटोटाईप) आदेशों को ठीक प्रकार से संधारित नहीं किया जा रहा है, जबकि मुख्यालय से पंजीयन स्वीकृति के साथ वाहनों के तकनीकी स्पेशिफिकेशन के सेट भी संलग्न कर भिजवाये जाते हैं। वाहनों के संबंध में जारी होने वाली पंजीयन स्वीकृतियां मय एनेक्शर के अलग फाईल बनाकर इसका रिकार्ड प्रत्येक कार्यालय में संधारित किया जावे। मुख्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के समय उक्त रिकार्ड को भी देखा जावेगा। विभाग द्वारा समय–समय पर मोटर वाहनों के टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र मय सभी संलग्नकों के पंजीयन स्वीकृति के साथ सभी कार्यालयों को भेजे जाते है। पंजीयन स्वीकृति देते समय निर्देशित किया जाता है कि वाहनों के पंजीयन से पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 **एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 की अनुपालना सुनिश्चित की जावे। पुनः निर्देशित किया जाता है कि टाईप एप्रूवल प्रमाण पत्र जारी करने के वर्ष के बाद समय–समय पर नियमों में हुए संशोधन की पालना वाहनों के निर्माण वर्ष के अनुरूप वाहन पंजीयन से पूर्व आवश्यक रूप से की जावे।**

उक्त आदेशों का कठोरता से पालन किया जावे। शिथिलता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा।

53037-39
27/11/09

परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय.................................।
3. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।

उप परिवहन आयुक्त (आयु0)